

फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 0097/2025 धारा 109(1) बीएनएस0 व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर झोपड़पट्टी में ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. मोहम्मद सरजू शेख पुत्र अकरम शेख निवासी सीलमपुर मोमिनपारा थाना कलियाचाक जिला मालदा पश्चिम बंगाल हाल पता- लेबर कैम्प गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर थाना विभूतिखण्ड लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष (लेबरों का मुंशी)

04-बरामदगी-

- 01 अदद देसी तमंचा .315 बोर (मुठभेड़ में प्रयुक्त)
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर (मुठभेड़ में प्रयुक्त)
- 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर (मुठभेड़ में प्रयुक्त)
- 01 अदद मोबाइल फोन वीवो बारंग स्काई ब्लू (जामा तलाशी)
- नगद रुपया 1250/- (जामा तलाशी)

05 अनावरित अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 0096/2025 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
2. मु0अ0सं0 0097/2025 धारा 109(1) बीएनएस0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना विभूतिखण्ड लखन

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री इरशाद अहमद
3. उ0नि0 श्री आसित कुमार यादव
4. उ0नि0 श्री योगेश सिंह सेंगर
5. उ0नि0 शिवम कुमार
6. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव
7. उ0नि0 श्री शिवांशु सिंह
8. उ0नि0 श्री उपेन्द्र गिरी
9. हे0का0 दुर्गेश कुमार सिंह
10. का0 मोनू राठी



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-629

दिनांक- 16.03.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: महिलाओं पर लाठी चलाने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.03.2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, जिसमें दो गुट के लोग एक-दूसरे पर लाठी व ईट-पत्थर से हमला कर रहे हैं उसी में से कुछ लोग महिलाओं पर लाठी बरसा रहे हैं, वायरल वीडियो का ठाकुरगंज पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया व महिलाओं की अपराध से सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में उक्त वीडियो की जाँच की गयी तो ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों के विरुद्ध आठो व टैम्पो खडी करने को लेकर विवाद हुआ था उक्त घटना को संज्ञान लेते हुए ठाकुरगंज पुलिस द्वारा वादिनी मुकदमा से तहरीर लेकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 136/2025 अंतर्गत धारा- 75/191(2)/333/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत महिलाओं पर लाठी से वार करने वाले चार अभियुक्तों 1-मुन्ना लाल गौतम 2-अनूप कुमार उर्फ मुनक्का 3-हिमांशू गौतम व 4-शुभम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

- 1-मुन्ना लाल गौतम पुत्र स्व0 कालीचरण गौतम उम्र 48 वर्ष नि0 बरौरा हुसैनबाड़ी बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 2-अनूप कुमार उर्फ मुनक्का पुत्र स्व0 कालीचरण गौतम उम्र 40 वर्ष नि0 बरौरा हुसैनबाड़ी बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 3-हिमांशू गौतम पुत्र स्व0 रामकुमार उम्र 20 वर्ष नि0-बरौरा हुसैनबाड़ी बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 4-शुभम कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार उम्र 22 वर्ष नि0-बरौरा हुसैनबाड़ी बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 01.उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 02.उ0नि0 श्री पंकज सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 03.हे0का0 अरूण कुमार मिश्रा थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 04.का0 तारा सिंह बघेल थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 05.का0 कुलदीप कुशवाहा थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- 06.का0 देवेन्द्र सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-632

दिनांक-16.03.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- विभूतिखण्ड

- थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा किया गया सफल अनावरण।
- घटना कारित करने वाला शातिर वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार।
- पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पास से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद।
- अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ किया था दुष्कर्म।
- 24 घण्टे के अन्दर घटना का किया गया सफल अनावरण।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.03.2025 को वादी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 15.03.2025 को दोपहर 14.30 बजे से 15.00 बजे के मध्य उनकी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त मोहम्मद सरजू पुत्र अकरम निवासी सीलमपुर मोमिनपारा जिला मालदा पश्चिम बंगाल ने दुष्कर्म किया है, प्राप्त सूचना पर तत्काल थाना विभूतिखण्ड पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0096/2025 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए तथा सफल अनावरण हेतु तत्काल टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा आज दिनांक 16.03.2025 को टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों तथा मुखबिर की सूचना कि विभूतिखण्ड में स्थित गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर बने लेबर कैम्प में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला अपराधी मोहम्मद सरजू उपरोक्त हनीमैन क्रासिंग से रेलवे लाइन के किनारे-किनारे मल्हौर की तरफ पैदल पैदल जाते हुये दिखायी दिया है, मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना से समस्त पुलिस टीम को अवगत कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते मुखबिर व समस्त पुलिस टीम के साथ मुखबिर के बताये रास्ते पर हनीमैन बन्द रेलवे क्रासिंग के पास पहुँचने पर रेलवे क्रासिंग से मल्हौर स्टेशन की तरफ जा रही रेलवे लाइन के किनारे पैदल जा रहे एक व्यक्ति की तरफ करीब 50 कदम आगे बढ़े तो उस व्यक्ति ने पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस वालों को सीधा लक्ष्य करते हुए फायर झोंक दिया, जिस पर आत्मरक्षार्थ तथा दोबारा उसके जानलेवा हमले से बचने के उद्देश्य से पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर में वह व्यक्ति घायल होकर गिर गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। दौरान पुलिस मुठभेड़ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मौके पर फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी तैयार की गयी। मौके पर अभियुक्त को दिनांक 16.03.2025 को हिरासत पुलिस में लेकर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है, जिसका इलाज चल रहा है।

03-अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0- 171/2025 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ

04-पूछताछ विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोगो द्वारा दिनांक 13.03.25 की रात में K.D.Public School से 02 बैटरी चोरी किये थे जिसमें से एक बैटरी हम लोग एक राहगीर को बेच दिया और इस दूसरे बैटरी को हम लोग बेचने के फिराक में थे और मिले हुये पैसो से अपने अपने शौक पूरा करते है।

05- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. कल्लू उर्फ बाजीद अली नवाब पुत्र सराफत अली निवासी सेवई गांव पो0 बरौना थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 38 वर्ष (ड्राइवर)
02. अरुण कुमार पुत्र स्व0 पुरई निवासी ग्रा0 नदौली थाना निगोहा लखनऊ उम्र 35 वर्ष (मजदूरी)
03. नन्हेश पुत्र श्री केशन निवासी ग्रा0 सेवई थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 25 वर्ष (मजदूरी)
04. पंडित अनुज कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिकेश बहादुर शर्मा निवासी B1/T41 सेक्टर 7, P.M. आवास योजना थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ व स्थाई पता ग्रा0 परसरामपुर पो0 जहनईपुर थाना कोतवाली सदर प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष (ड्राइवर)

06-बरामदगी।

- 01 अदद एक्साइड बैटरी (EXIDE SOLA TUBULAR 12V TALL TUBULAR FLOODED 6LM5150 MADE IN INDIA)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम दक्षिणी जोन लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-0628

दिनांक 16.03.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

बैटरी चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण।

- घटना में शामिल 04 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
- गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी की बैटरी बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री मन्दीप पुत्र मिश्री लाल निवासी नरहरखेड़ा पोस्ट बरौना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ के द्वारा दिनांक 15.03.2025 को अज्ञात चोरो द्वारा के0डी0 पब्लिक स्कूल से EXIDE की 02 बैटरी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 171/2025 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में दिनांक 16.03.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के लिये अलखनंदा चौराहे पर मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त मुकदमे से संबंधित चोरी करने वाले युवक चोरी की बैटरी लिए धोधनखेड़ा चौराहे पर कही जाने की फिराक मे खडे है। तत्पश्चात थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्त 1. कल्लू उर्फ बाजीद अली नवाब पुत्र सराफत अली निवासी सेवई गांव पो0 बरौना थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 38 वर्ष 2. अरुण कुमार पुत्र स्व0 पुरई निवासी ग्रा0 नदौली थाना निगोहा लखनऊ उम्र 35 वर्ष 3. नन्हेश पुत्र श्री केशन निवासी ग्रा0 सेवई थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 25 वर्ष 4. पंडित अनुज कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिकेश बहादुर शर्मा निवासी B1/T41 सेक्टर 7, P.M. आवास योजना थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ व स्थाई पता ग्रा0 परसरामपुर पो0 जहनईपुर थाना कोतवाली सदर प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष को धोधनखेड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद चोरी की हुयी बैटरी EXIDE SOLA TUBULAR 12V TALL TUBULAR FLOODED 6LM5150 MADE IN INDIA बरामद किया गया। तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये दिनांक 16.03.2025 को अभियुक्तों को नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कल्लू उर्फ बाजीद अली नवाब पुत्र सराफत अली निवासी सेवई गांव पो0 बरौना थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 38 वर्ष
2. अरुण कुमार पुत्र स्व0 पुरई निवासी ग्रा0 नदौली थाना निगोहा लखनऊ उम्र 35 वर्ष
3. नन्हेश पुत्र श्री केशन निवासी ग्रा0 सेवई थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 25 वर्ष
4. पंडित अनुज कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिकेश बहादुर शर्मा निवासी B1/T41 सेक्टर 7, P.M. आवास योजना थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ व स्थाई पता ग्रा0 परसरामपुर पो0 जहनईपुर थाना कोतवाली सदर प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-0627

दिनांक-16.03.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

■ हत्या के मुकदमें में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना काकोरी क्षेत्र में दिनांक 14.03.2025 को केशन पुत्र स्व0 चौधीराम निवासी कठिंगरा थाना काकोरी लखनऊ को पुलिया से गिरा कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 चौधीराम निवासी कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/2025 धारा 103(1)/61(2) बी0एन0एस0 बनाम राकेश पुत्र बाबूलाल आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्तों के मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही थी। पुलिस टीम ने टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को आउटर रिंग रोड बबुरिया खेडा अण्डरपास के पास से अभियुक्त 1. राकेश पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी ग्राम कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष 2. सुशील पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी ग्राम कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 54 वर्ष को आज दिनांक 16.03.2025 को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्तों द्वारा शराब पीने को लेकर वाद विवाद होने पर धक्का देकर पुलिया से गिराकर हत्या कर देना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राकेश पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी ग्राम कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष।
2. सुशील पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी ग्राम कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 54 वर्ष।

04-अपराधिक इतिहास

1. सुशील पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी ग्राम कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 54 वर्ष
1. मु0अ0सं0 369/2019 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना काकोरी लखनऊ
1. राकेश पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी ग्राम कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष।
1. मु0अ0सं0 369/2019 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना काकोरी लखनऊ
2. मु0अ0सं0 393/2021 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना काकोरी लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. अति0नि0 श्री कमलेश कुमार थाना काकोरी लखनऊ
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार सिंह थाना काकोरी लखनऊ
3. हे0का0 जितेन्द्र कुमार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 विवेक कुमार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 630

दिनांक-16.03.25

जोन- पूर्वी/ थाना- कैण्ट

- लूट की घटना का किया गया सफल अनावरण।
- घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से लूट का सामान बरामद।
- लूट की घटना का 24 घण्टे के अन्दर किया गया सफल अनावरण।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.03.25 को वादिनी फूलमती देवी पत्नी सुरेन्द्र यादव निवासी ग्राम व पोस्ट खेमादेई थाना लार जिला देवरिया हाल पता- मकान न० E10/1 आवासीय कालोनी मंडी परिषद थाना विभूतिखंड लखनऊ द्वारा दिये गये लिखित तहरीर सूचना बावत दिनांक 13.03.25 को आटो रिक्षा 2269 के अज्ञात चालक व उसके एक साथी द्वारा वादिनी को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए वादिनी द्वारा कान में पहने हुए सोने के दोनो झुमके, पैर में पहनी दोनो चाँदी की पायल, गले में पहनी हुयी आर्टिफिशियल चैन व छोटे पर्स में रखा लगभग ₹0 1000 नगद, आधार कार्ड छीन लेने के सम्बन्ध में सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 026/25 धारा 308(4)/309(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ०नि० श्री धनंजय सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उक्त घटना के अनावरण हेतु तत्काल टीम का गठन किया गया। थाना कैण्ट टीम द्वारा दिनांक 15.03.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने एसपी मार्ग नीयर तोपखाना के पास से 02 नफर अभियुक्तों 1.निहाल पुत्र राजेश कुमार निवासी म०नं०-281/365 ऊंची मवैया थाना आलमबाग लखनऊ उम्र 29 वर्ष 2. राहुल वर्मा पुत्र राकेश वर्मा निवासी दो नम्बर रेलवे क्रांसिंग के पास लाला का किराये का मकान मवैया थाना आलमबाग लखनऊ उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन व 01 जोड़ी झुमका (टैप्स) व पीड़िता का 01 अदद आधार कार्ड ,3000 रुपये,01 अदद पेचकस ,01 अदद आटो रिक्षा नं०-यूपी 32 जीएन 2269 बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य-

अभियुक्तों द्वारा अपनी जीविका चलाने के लिए।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. निहाल पुत्र राजेश कुमार निवासी म०नं०-281/365 ऊंची मवैया थाना आलमबाग लखनऊ उम्र 29 वर्ष
2. राहुल वर्मा पुत्र राकेश वर्मा निवासी दो नम्बर रेलवे क्रांसिंग के पास लाला का किराये का मकान मवैया थाना आलमबाग लखनऊ उम्र 23 वर्ष



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-631

दिनांक-16.03.2025

जोन-मध्य/थाना अमीनाबाद

■ शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण –

आज दिनांक 16.03.2025 को उ0नि0 श्री राजेश कुमार मय हमराह प्रशिक्षु उ0नि0 अंगद कुमार यादव मय पालीगान 34 के कर्मचारी गण का0 3606 गगन व का0 1668 रनवीर के साथ थाना अमीनाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2025 धारा 115/191 बीएनएस व मु0अ0सं0 13/2025 धारा 115/191/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण प्रथम पक्ष 01-अर्जुन गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता उम्र करीब 18 वर्ष निवासी 140/75 नाला फ़तेहगंज, बताशे वाली गली थाना अमीनाबाद लखनऊ व द्वितीय पक्ष के अभियुक्त 01-गगन साहू पुत्र गोविन्द साहू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी गेट न0 4 रेलवे क्रासिंग के पास तिलक नगर ऐशबाग थाना बाजार खाला 02-अमित राजपूत पुत्र राजेश राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी 278/346 कर्बला मलका जहान ऐशबाग राजेंद्रनगर फ़तेहगंज बताशे वाली गली अमीनाबाद के पास मुकदमा उपरोक्त को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे मौके पर अमीनाबाद पुलिस द्वारा उभय पक्षों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परन्तु उभय पक्ष और भी उग्र होकर आमदा फौजदारी होने लगे, संज्ञेय अपराध कारित होने की संभावना को देखते हुए थाना अमीनाबाद पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत प्रथम पक्ष के 1-अर्जुन गुप्ता उपरोक्त व द्वितीय पक्ष के 01-गगन साहू उपरोक्त 02-अमित राजपूत उपरोक्त को अंतर्गत धारा धारा 170/126/135 बीएनएसएस पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-अर्जुन गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता उम्र करीब 18 वर्ष निवासी 140/75 नाला फ़तेहगंज, बताशे वाली गली थाना अमीनाबाद लखनऊ

02-गगन साहू पुत्र गोविन्द साहू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी गेट न0 4 रेलवे क्रासिंग के पास तिलक नगर ऐशबाग थाना बाजार खाला लखनऊ

03-अमित राजपूत पुत्र राजेश राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी 278/346 कर्बला मलका जहान ऐशबाग राजेंद्रनगर

03-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 राजेश कुमार थाना अमीनाबाद लखनऊ

2- प्रशि0उ0नि0 अंगद यादव थाना अमीनाबाद लखनऊ

3- का0 रनवीर सिंह थाना अमीनाबाद लखनऊ

4- का0 गगन सिंह थाना अमीनाबाद लखनऊ

04-बरामदगी:-

- 02 अदद मोबाइल फोन (रेडमी व ओप्पो)
- 01 जोड़ी झुमका (टैप्स)
- पीड़िता का 01 अदद आधार कार्ड
- 3000/- रुपये नगद
- 01 अदद पेचकस
- 01 अदद आटो रिकशा नं0-यूपी 32 जीएन 2269

05-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 026/25 धारा 308(4)/309(4)/317(2) बीएनएस

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री धनंजय सिंह
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार
3. उ0नि0 श्री आदर्श वर्मा
4. उ0नि0 श्री राज गौड़
5. उ0नि0 श्री आदर्श कुमार सिंह
6. का0 आदित्य सिंह